विभागीय अधिसूचना क्रमांक सं. 4 (1)रेव–6/06/पार्ट/33 दिनांक 27.12.2011 का हिन्दी अनुवाद।

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प. 4 (1)रेव–6/06/पार्ट/33 जयपुर दिनांक: 27.12.2011

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 261 की उप–धारा (2) द्वारा प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू–राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों को नाम राजस्थान भू–राजस्व (भूमि अभिलेख) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. **नये नियम 118 क का अन्तःस्थापन.**– राजस्थान भू–राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 118 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 118–क जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"118–क आन लाइन जमाबन्दी. –राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित कर सकेगी जहां जमाबन्दी कम्प्यूटर के माध्यम से आनलाइन जनित की जा सकेगी।"

3. **नियम 119 का संशोधन.** –उक्त नियमों के नियम 119 में ,–

(i) अन्त में, आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न" : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(ii) अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि नियम 118 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में नामांतरण रजिस्टर प्ररूप सं. पी. 21 के स्थान पर प्ररूप सं. पी–21–ग में संधारित किया जायेगा।"

4. **नियम 120 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 120 में,–

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(ii) अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु यह कि नियम 118 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, पटवारी प्ररूप सं. पी.–21–क में सूचना की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, प्रारूप सं. पी.

–21–क के स्थान पर प्ररूप सं. पी.–21–ग में नामांतरण रजिस्टर में प्रविष्टियां करेगा और इसे निरीक्षक, भूमि अभिलेख को प्रस्तुत करेगा।
भू–अभिलेख निरीक्षक इसकी प्राप्ति के 10 दिन के भीतर प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 16 ख में तब रिपोर्ट करेगा और पटवारी को प्ररूप सं. पी–21–ग लौटा देगा। पटवारी इसे उस अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो नामांतरण मंजूर करनें के लिए प्राधिकृत है, जो तीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 16 ग में विनिश्चय को अभिलिखित करेगा :

परन्तु यह और कि नियम 118 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, यदि कोई नामांतरण मंजूर किया जाता है तो पटवारी प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 17 से 24 में प्रविष्ट करके दो प्रतियों में नया/संशोधित खाता उपदर्शित करेगा। पटवारी रिसोर्स व्यक्ति को प्रतिपर्ण प्रस्तुत करेगा। तब आफिस कानूनगो रिसोर्स व्यक्ति के माध्यम से कम्प्यूटर में नया/संशोधित खाता प्रविष्ट करायेगा और प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 26 में रिसोर्स व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 27 में हस्ताक्षर करके उसे सत्यापित करेगा।

परन्तु यह भी कि नियम 118 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, शुद्धि–पत्र (प्ररूप सं. पी–27 के स्थान पर प्ररूप सं. पी–27–ग) पर विनिश्चय जमाबन्दी की अभ्युक्तियों के स्तंभ में पेन्सिल से प्रविष्ट किया जायेगा। प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 17 से 27 में यथा–वर्णित शुद्धि पत्र प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सृजित नये/संशोधित खातों को प्रविष्ट करने की कार्रवाई पटवारी द्वारा की जायेगी। जमाबन्दी में क्रम संख्यांक प्रविष्ट किये जायेंगे। शुद्धि पत्रों को शुद्धि पत्र–1, शुद्धि पत्र–2, शुद्धि पत्र 3 और इस प्रकार आगे भी संधारित किया जायेगा।

5. **नियम 121 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 121 में,–

(i) उप–नियम (ii) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप–नियम (ii) में, अन्त में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"नियम 118 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, पटवारी प्ररूप सं. पी–21 के स्थान पर प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 2 से 9 में युक्तियुक्त तौर पर संक्षिप्त रूप में प्रविष्टियां करेगा। जोतों के अधिक संख्या में प्रभावित होने की दशा में, विशेष रूप से जहां अभिधारियों की संख्या अधिक है और केवल एक या दो ने अपने अंश अंतरित किये है वहां अपने अंशों को अंतरित करने वाले समस्त सह–अभिधारियों के नाम प्ररूप सं. पी–21 ग के स्तंभ 3,10 और 11 में विस्तारपूर्वक प्रविष्ट किये जायेंगे। प्ररूप सं. पी–21 ग के स्तंभ 11 को नया खाता तैयार करते समय भरा जायेगा। यदि अंतरक प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 3 में यथा–दर्शित किसी जोत का विक्रय करता है या को बन्धक करता है और अन्तरिती को उसका कब्जा देता है तो पश्चात् कथित को प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 10 में दर्शित करना होगा और उसका एक टिप्पण प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 16–क में रखा जायेगा। पटवारी प्ररूप सं. पी–21–ग के स्तंभ 10 से 15 और 16–क में अन्तरित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा और वह संक्षिप्त में ऐसे अन्तरण के कारण दर्शित करेगा। नामांतरण के मंजूर हो जाने के पश्चात्, नामांतरण अनुप्रमाणन प्राधिकारी द्वारा पर्ण और प्रतिपर्ण दोनों में नामांतरण फीस प्रविष्ट की जायेगी। पटवारी प्ररूप सं. पी–21–ग में अन्य भी प्रविष्टियां करेगा।"

6. **नियम 124 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 124 में,–

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि नियम 118 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, नामांतरण रजिस्टर प्ररूप सं. पी–21 के स्थान पर प्ररूप सं. पी–21–ग में संधारित किया जायेगा।

परन्तु यह और कि नियम 118–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, नामांतरण पर राजस्व अधिकारी/ग्राम पंचायत के अन्तिम विनिश्चय के पश्चात्, पटवारी प्ररूप सं. पी–21–ग में नया/संशोधित खाता संधारित करेगा जिसे आफिस कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जायेगा जो यह भी सुनिश्चित करेगा कि कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी "परत सरकार" और "परत पटवार" समरूप है। नये/संशोधित खाते की कम्प्यूटर प्रविष्टि के पश्चात्, उसकी एक प्रति पटवारी को उपलब्ध करायी जायेगी जो उसे जमाबन्दी के साथ संलग्न करेगा।"

7. **नियम 153 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 153 में,–

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु यह कि नियम 118 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी प्ररूप सं. पी–26 (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 114 और 132) में प्रत्येक चार वर्षों मे जनित की जायेगी। यह अभिधारियों के नाम वर्णक्रम में अभिलिखित नही करेगा किन्तु साफ्टवेयर में भू–राजस्व या भाटक का संदाय करने के दायी समस्त व्यक्तियों और जो किसी भूमि पर खेती करते हैं या किसी अन्य रीति में कब्जा रखते है मे से किसी का भी नाम स्थालीपुलाक रूप से तलाश करने की सुविधा होगी। समस्त अभिधारियों की अभिधृति की प्रकृति और उनके भूमि में के के हित को प्ररूप सं. पी–26 में भी प्रविष्ट किया जायेगा।"

8. **नियम 154 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 154 में,–

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा

(ii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु नियम118–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में,नयी जमाबन्दी कलक्टर द्वारा मंजूर किये गये कार्यक्रम के अनुसार वर्णक्रम में चार वर्षों के अन्त में जनित की जायेगी और समस्त परिवर्तन रिसोर्स व्यक्ति के माध्यम से पटवारी द्वारा जमाबन्दी की कम्प्यूटरीकृत प्रति में अभिलिखित किये जायेंगे और इसे सितम्बर के अन्त तक पूर्ण किया जायेगा।"

9. **नियम 155 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 155 में,–

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "। " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

" परन्तु यह कि नियम 118–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, जमाबन्दी पटवारी द्वारा दो प्रतियों में तैयार की जायेगी जिनमें से एक को "परत पटवार" कहा जायेगा और आने वाले चार वर्षों तक पटवारी के पास रहेगी और दूसरी प्रति को "परत सरकार" कहा जायेगा जो भू–अभिलेख निरीक्षक के सत्यापन और प्रमाणन के पश्चात् कम्प्यूटर में संधारित की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि रिसोर्स व्यक्ति के माध्यम से पटवारी द्वारा समस्त परिवर्तन सम्मिलित कर लिये गये हैं, तत्पश्चात् वह जमाबन्दी बन्द करेगा। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित इस रिपोर्ट की एक प्रति, जमाबन्दी की "परत पटवार" (पटवारी की प्रति) के साथ संलग्न की जायेगी। वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि " परत पटवार " सभी तरह से "परत सरकार" के अनुरूप है। "

10. **नियम 156 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 156 में,–

विराम (i) उप–नियम (vi) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

जोड़ा (ii) इस प्रकार संशोधित उप–नियम (vi) के अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि नियम 118–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, जमाबन्दी प्रत्येक चार वर्षों के पश्चात् रिसोर्स व्यक्ति द्वारा वर्णक्रम से स्वतः जनित की जायेगी। जमाबन्दी तहसील के प्रत्येक ग्राम के लिए जनित की जायेगी। कलक्टर, मंजूर किये गये कार्यक्रम के अनुसार इसे जनित करने के लिए प्रत्येक पटवार सर्किल को निर्देश जारी करेगा। तहसीलदार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के मास में एक कार्यक्रम तैयार करेगा और इसे अनुमोदन के लिये कलक्टर को भेजेगा। जमाबन्दी में प्रत्येक भू–जोत की कम्प्यूटर प्रविष्टि अन्तर्विष्ट होगी। "

11. **नियम 157 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 157 में,–

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु यह कि नियम 118 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, पटवारी सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में आफिस कानूनगो को कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी (परत सरकार) प्रस्तुत करेगा। उसी मास में, भू–अभिलेख निरीक्षक यह देखने के लिए कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी की जांच करेगा कि मंजूर किये गये नामांतरणों के अनुसार परिवर्तन कम्प्यूटर में समुचित रूप से सम्मिलित और डाल दिये गये हैं। वह इस निरीक्षण में पायी गयी त्रुटियों और किये गये परिवर्तनों की एक सूची तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। इसकी एक प्रति पटवारी को सौंपी जायेगी जो उसको "परत पटवार" के साथ संलग्न करेगा और तदनुसार रिसोर्स व्यक्ति के माध्यम से परत पटवार और परत सरकार दोनों में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निरीक्षक भू–अभिलेख पटवार सर्किलों के अपने अगले भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि पटवारी ने अपेक्षित परिवर्तन कर दिये हैं और किये गये समस्त परिवर्तनों पर अपने आद्यक्षर करेगा। "

12. **नियम 158 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 158 में,–

(i) खण्ड (iv) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (iv) के अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु यह कि नियम 118–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, अपेक्षित कोई भी परिवर्तन जमाबन्दी की दोनों प्रतियों में किया जायेगा और ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् इसे कम्प्यूटर में भी डाला जायेगा। और उसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा और तब जमाबन्दी को मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बन्द किया जायेगा।

इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् राजस्व अधिकारी प्ररूप सं. पी–28 में दो प्रतियों में अन्तिम प्रमाणन का प्रमाणपत्र भरेगा और एक प्रति जमाबन्दी के साथ संलग्न करेगा।"

13. **नियम 164 का संशोधन** :– उक्त नियमों के नियम 164 में,–

विराम (i) उप–नियम (8) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

जोड़ा (ii) इस प्रकार संशोधित उप–नियम (8) के अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु यह है कि नियम 118–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में, जैसे ही स्वतः आनलाइन नियमित प्रक्रिया के रूप में नये/परिवर्तित खाते जनित किये जाते हैं उन्हें निरीक्षक भू–अभिलेख द्वारा जांचा और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा, और आफिस कानूनगो कम्प्यूटर में विनिर्दिष्ट स्थान पर नये/परिवर्तित खातों की प्रविष्टियों को सत्यापित करेगा। "

14. **प्ररूप सं. पी.–21 ग का अन्तःस्थापन**.–उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप सं. पी–21 क के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररूप सं. पी–21–ग अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"नामांतरण प्ररूप सं. पी–21 ग

ग्राम का नाम.....

पटवार सर्किल.....

भू–अभिलेख निरीक्षक सर्किल.....

तहसील .....जिला.....

(1–क) नामांतरण सं. .....

(1–ख) नामांतरण का प्रकार–

(i) उत्तराधिकार (ii) वसीयत (iii) विक्रय (iv) बन्धक (v) बन्धक मुक्त (vi) अभ्यर्पण (vii) न्यायालय आदेश (viii) अन्य

(टिप्पण– कृपया लागू विकल्प पर चिह्न लगायें)

(1 –ग) आवेदन की तारीख/स्व प्रेरणा से.....

(2) वामांतरण के लिए रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज/आदेश के ब्यौरे	
खाते की वर्तमान स्थिति	
(3) अभिधारी और उसके पिता के नाम सहित जाति और निवास का पता	

खाता सं.	खसरा सं.	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	राजस्व	धल बंच और संवत की क्रम संख्या जिसमें मांग नियत की गयी है।
4	5	6	7	8	9

संशोधित/प्रस्तावित प्रविष्टियां
अभिधारी और उसके पिता के नाम सहित जाति और निवास का पता
10

संशोधित/नया खाता सं. (यदि पूर्ववर्ती खातें सं. में कोई परिवर्तन हो)	खसरा सं.	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	राजस्व
11	12	13	14	15

(16–क) पटवारी की रिपोर्ट–

तारीख सहित, पटवारी का नाम और
हस्ताक्षर

(16–ख) भू–राज. निरी. की रिपोर्ट–

तारीख सहित, भू राज. निरीक्षक का नाम और
हस्ताक्षर

(16–ग) ग्राम पंचायत/तहसीलदार को प्रस्तुत करने की तारीख

तारीख सहित, पटवारी का नाम और हस्ताक्षर

(16–घ) विनिश्चित करने वाले अधिकारी का आदेश (ब्यौरा)–

तारीख और पदनाम सहित, विनिश्चित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

विनिश्चिय के पश्चात् जमाबन्दी में प्रविष्ट करने के लिए समस्त संशोधित/नये खाते–

भूमि के स्वरूप की स्थिति							
क्रम सं.	संशोधित/नया खाता सं. (यदि पूर्ववर्ती खाता सं. में कोई परिवर्तन हो)	नामांतरण प्रविष्टियों द्वारा प्रभावित प्रविष्टियां ओर शेष प्रविष्टियों का ब्यौरा	खसरा सं.	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	धल बंध और संवत की क्रम सं. जिसमें मांग नियत की है गयी	राजस्व
17	18	19	20	21	22	23	24

पटवारी का नाम और हस्ताक्षर तथा तारीख

(25) तहसील में आर.पी.जी. द्वारा प्राप्ति की तारीख–

पटवारी का नाम और हस्ताक्षर तथा तारीख

आर.पी.जी. का नाम और हस्ताक्षर तथा तारीख

(परिदत्त करने वाला)
परिदत्तकर्ता

(पाने वाला)
प्राप्तिकर्ता

(26) कम्प्यूटर प्रविष्टि की तारीख–

आर.पी.जी. का नाम और हस्ताक्षर तथा तारीख

(27) आफिस कानूनगो द्वारा कम्प्यूटर प्रविष्टि के अनुप्रमाणन की तारीख–

आफिस कानूनगो का नाम और हस्ताक्षर तथा
तारीख "

15. **प्ररूप सं. पी.–27 ग का अन्तःस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप सं. पी. 27 के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप पी 28 के पूर्व, निम्नलिखित नया प्ररूप पी. 27 ग अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

" प्ररूप सं. पी–27–ग

फराद बदर

ग्राम .....तहसील.....

जिला.....राजस्थान

						भूमि के स्वरूप की स्थिति							
क्र. सं.	अन्तिम जमाबन्दी में जोत की संख्या	नयी जमाबन्दी में जोत की संख्या	पटवारी की रिपोर्ट	निरीक्षक की रिपोर्ट	परीक्षण करने वाले अधिकारी का आदेश	क्र. सं.	संशोधित नया खाता सं. (यदि पूर्ववर्ती खाता सं. में कोई परिवर्तन हो)	नामांतरण प्रविष्टियों द्वारा प्रभावित प्रविष्टियां और शेष प्रविष्टियों का ब्यौरा	खसरा सं.	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	बंध और संवत की क्रम सं. जिसमें मांग नियत की गयी है।	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(15) तहसील में आ.पी.जी. द्वारा प्राप्ति की तारीख

पटवारी का नाम और हस्ताक्षर तथा तारीख

(परिदत्त)

पटवारी का नाम हस्ताक्षर तथा तारीख (प्राप्तिकर्ता)

16. कम्प्यूटर प्रविष्टि की तारीख–

आर.पी.जी. का नाम और हस्ताक्षर तथा तारीख

17. आफिस कानूनगो द्वारा कम्प्यूटर प्रविष्टि के अनुप्रमाणने की तारीख

आफिस कानूनगो का नाम और हस्ताक्षर तथा तारीख

राज्यपाल के आदेश

(जी. डी. आर्य)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक प0 4 (1)रेव–6/06/पार्ट/18 जयपुर दिनांक : 20-7-12

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को इस विभाग की समसंख्यक अंग्रेजी अधिसूचना दिनांक 27.12.2011 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20-7-12 में प्रकाशन हेतु।
11. "राविश्र" राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
12. उप निबन्धक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव